न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—114 / 2018 (2018 / 00195) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—चतरसिंह आत्मज भंवरदान बड़वा निवासी नान्दशा जागीर तह. रायपुर जिला भीलवाडा
2—राधेश्याम आत्मज भंवरदान बड़वा निवासी नान्दशा जागीर तह. रायपुर जिला भीलवाडा
3—दरियावकंवर बेवा भंवरदान बड़वा निवासी नान्दशा जागीर तह. रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—उदा आत्मज देवा भील निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—गोपाल आत्मज देवा भील निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—सुखी पुत्री देवा भील पत्नी रतनलाल भील निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा हाल उल्लाई तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
4—काली पुत्री देवा भील पत्नी हीरालाल भील निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा हाल सुरजपुरा (कालीमंगरी का खेड़ा) तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—लक्ष्मी पुत्री देवा भील नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक माता बालीदेवी बेवा देवा भील निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—बालीदेवी बेवा देवा भील निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—नाथु आत्मज धुला भील निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—लादी पुत्री धुला भील पत्नी केशु भील निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा हाल बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
9—शंकरी पुत्री धुला पत्नी नारू भील निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा हाल बाघपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
10—हगामी पत्नि नारू भील निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—नारायणलाल आत्मज नाथु भील निवासी नान्दशा जागीर तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—भैरूलाल आत्मज नाथु भील निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा
14—प्रहलादसिंह आत्मज नाथुदान बड़वा निवासी नान्दशा जागीर त.रायपुर जिला भीलवाड़ा
15—भवानीशंकर आत्मज नाथुदान बड़वा निवासी नान्दशा जागीर त.रायपुर जिला भीलवाड़ा
16—ईश्वरसिंह आत्मज नाथुदान बड़वा निवासी नान्दशा जागीर तह रायपुर जिला भीलवाड़ा
17—कविता पुत्री नाथुदान बड़वा पत्नी शैलेषसिंह बड़वा (राव) निवासी टोकरा पोस्ट धनगांव वाया सिंगोली जिला नीमच (म.प्र.)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट.

निर्णय

दिनांक 18.02.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण मुकदमा के

मुकदमा नम्बरः–114/2018 (2018/00195)

खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1929 रकबा 0.04 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 140 पर दर्ज है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस के पेश की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजी में संज, बैलगाड़ी, पैदल, ट्रेक्टर आदि सहित आवागमन करने का एक मात्र रास्ता ग्राम नान्दशा जागीर की बिलानाम रास्ता की आराजी संख्या 1980 से होकर आगे विपक्षीगण संख्या एक लगायत 12 की आराजी संख्या 1982 की पश्चिमी पाली पर स्थित 15 फीट चौड़े रास्ते से होकर आगे उन्हीं के खातेदारी की आराजी संख्या 1983 गेमु. आराजी चाह की छुट जो पश्चिमी तरफ छुटे हुए 15 फीट चौड़ाई में स्थित रास्ते से होकर आगे बिलानाम आराजी संख्या 1984 की पश्चिमी पाली पर होकर व आगे विपक्षीगण संख्या 14 लगायत 17 की खातेदारी की आराजी संख्या 1993 की पश्चिमी पाली पर स्थित रास्ते से होकर प्रार्थीगण की आराजी में प्रवेश करते हैं। यह रास्ता काफी पुराना हैं। जिससे आराजी संख्या 1982 में इसे डोट डोट से भी दर्शाया गया हैं। इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपनी आराजियात में पीढ़ी दर पीढ़ी आवागमन करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन करने का अन्य कोई रास्ता मौजुद नहीं हैं । यही एक मात्र रास्ता हैं। इस रास्ते पर आवागमन करने में विपक्षीगण ने कभी भी बंद नहीं किया, बरोकटोक यह रास्ता आवागमन के काम आ रहा था किन्तु विपक्षीगण ने संयुक्त सांठ गांठ कर दिनांक 31.10.2018 को इस पुराने रास्ते की आराजी संख्या 1982 की दक्षिणी भुजा पर थोहरों की बाड़ लगा कर व छड़िया व पत्थर डाल कर बंद कर दिया व कहा कि यह रास्ता रेकार्ड में दर्ज नहीं हैं इसलिए हम आवागमन नहीं करने देंगे। प्रार्थीगण नियमानुसार डी.एल.सी. दर से बतौर मुआवजा राशि जो न्यायालय आदेश प्रदान करे जमा करवाने को तैयार हैं। प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की आराजी में संज बैल, गाड़ी ट्रेक्टर पैदल आदि सहित आवागमन का रास्ता विपक्षीगण संख्या एक लगायत 12 की खातेदारी अधिकार की ग्राम नान्दशा की आराजी संख्या 1982 व 1983 की पश्चिमी मेड़ पर स्थित 15 फीट चौड़े रास्ते व आगे विपक्षीगण संख्या 13 की आराजी संख्या 1984 की पश्चिमी मेड़ पर स्थित 15 फीट चौड़ाई में स्थित रास्ते व आगे विपक्षीगण संख्या 14 लगायत 17 की खातेदारी की आराजी संख्या 1993 की पश्चिमी मेड़ पर स्थित 15 फीट चौड़ाई के रास्ते को बिलानाम रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रदान कराया जावें व इसकी मुआवजा राशि का आदेश प्रदान कराया जावें। तहसीलदारर रायपुर को इसकी पालना हेतु आदेशित फरमाया जाकर रास्ते का खुलासा रखने हेतु विपक्षीगण को पाबंद फरमाया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 28.12.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना विपक्षी संख्या 2, 7, 11, 12, एवं 15 की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया । शेष विपक्षीगण बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

विपक्षीगण की ओर से अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थीगण अपने आराजी में कदीमी रास्ता जो ग्राम नान्दशा से खुंटिया जाने के लिये हैं। उससे होकर रास्ते के आराजी संख्या 1897 में होकर आराजी संख्या 1882 जो खातेदार मुला माली की हैं, से होकर अपनी अलोट शुदा आराजी में प्रवेश करता हैं। और उससे आगे विपक्षी संख्या 14

से 17 की आराजियात से होकर आगे दुर्गासिंह की आराजी में होकर बालुसिंह भरतसिंह की आराजी में होता हुआ अपनी आराजी में प्रवेश करता हैं। कलम संख्या में अंकित आराजियात से रास्ता नाजायज रूप से अंकित होना बताया हैं। प्रार्थीगण नाजायज रूप से परेशान करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि धारा 251 अ के प्रावधानों के अनुसार जहां अतिरिक्त रास्ता कतई उपलब्ध नहीं हो, तब ही कार्यवाही की जा सकती हैं। जबकि प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण के साथ वैकल्पिक रास्ता खुंटिया जाने वाले रास्ते से होकर आराजी संख्या 1897 रास्ते की होकर आगे आराजी संख्या 1982 मुला माली से होकर प्रार्थी की अलोट शुदा आराजियात में होकर विपक्षी संख्या 14 से 17 की आराजी से आगे खातेदार की आराजी में से होकर सदैव से ही चले आ रहे हैं। ऐसी अवस्था में जब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो, तो नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता हैं। प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

तहसीलदार रायपुर से प्रकरण में मौका रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली है । तहसीलदार ने अपनी मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि वादीगण की आराजी संख्या 1929 रकबा 0.04 है0 भूमि में आने जाने हेतु वर्तमान में कोई रास्ता नहीं हैं। इसमें आने जाने हेतु बिलानाम रास्ता आराजी संख्या 1980 जो मौके पर चालु हैं। खातेदारी सीमा में आराजी संख्या 1982 व 1983 की उत्तरी सीमा में रास्ते को डोल डालकर बन्द कर दिया हैं। जिससे प्रार्थी के जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी की आराजी में जाने हेतु प्रतिवादीगण के नाम दर्ज आराजी 1982 रकबा 0.66 है0 में से 0.02 है0, आराजी संख्या 1983 रकबा 0.05 है0 में से 0.01 है0, आराजी संख्या 1984 रकबा 0.18 है0 बिलानाम में से 0.02 है0 भूमि एवं खातेदारी आराजी संख्या 1993 रकबा 0.40 है0 में से 0.02 है0 भूमि प्रस्तावित रास्ते में आ रही हैं, जिसमें 0.05 है0 भूमि खातेदारी एवं शेष 0.02 है0 भूमि बिलानाम सरकारी हैं। ग्राम नान्दशा जागीर की डी.एल.सी. दर 138300 / – रू0 प्रति बीघा हैं। जिसमें खातेदारी का रकबा 0.05 है0 भूमि की कुल राशि 32000 / –रू. का दुगुना 64000 / –रू. एवं बिलानाम का रकबा 0.02 है0 भूमि की राशि 12800 / –रू. के दुगुना 25600 / –रू. सरकार के पक्ष में जमा योग्य हैं। और प्रस्तावित रास्ते को नक्शें में लाल स्याही से दर्शाया गया हैं।

मैने पत्रावली व उसमे प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट का भी अवलोकन करने से पाया कि प्रार्थीगण के नाम स्थित खातेदारी भूमि आराजी संख्या 1929 में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 1982 में से 0.02 है0 आराजी संख्या 1983 में से 0.01 है0 और आराजी संख्या 1993 में से 0.02 है0 कुल रकबा 0.05 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर अनुसार भूमि कीमत 32000 / –रू. के दुगुना 64000 / – रू. एवं बिलानाम आराजी संख्या 1984 में से 0.02 है0 भूमि की कीमत 12800 / –रू. के दुगुना 25600 / –रू. जमा होने पर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना उचित हैं। चुंकि उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण को अपनी आराजियात में जाने हेतु समीप, वैकल्पिक एवं सरकारी आम रास्ता उपलब्ध नही है और तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में प्रार्थी इसी रास्ते होकर आ जा रहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित हैं।

मुकदमा नम्बरः—114 / 2018 (2018 / 00195)

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नान्दशा जागीर तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नम्बर 1929 रकबा 0.04 है0 भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 1982 में से 0.02 है0 आराजी संख्या 1983 में से 0.01 है0 और आराजी संख्या 1993 में से 0.02 है0 कुल रकबा 0.05 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर अनुसार भूमि कीमत 32000/—रू. के दुगुना 64000/— रू. एवं बिलानाम आराजी संख्या 1984 में से 0.02 है0 भूमि की कीमत 12800/—रू. के दुगुना 25600/—रू. बतौर मुआवजा भुगतान / जमा होने पर उक्त रकबे को रास्ता बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18.2.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–114/2018 (2018/00195) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–चतरसिंह आत्मज भंवरदान बड़वा निवासी नान्दशा जागीर तह. रायपुर जिला भीलवाडा

2–राधेश्याम आत्मज भंवरदान बड़वा निवासी नान्दशा जागीर तह. रायपुर जिला भीलवाडा

3–दरियावकंवर बेवा भंवरदान बड़वा निवासी नान्दशा जागीर तह. रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1–उदा आत्मज देवा भील निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

2–गोपाल आत्मज देवा भील निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

3–सुखी पुत्री देवा भील पत्नी रतनलाल भील निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा हाल उल्लाई तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा

4–काली पुत्री देवा भील पत्नी हीरालाल भील निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा हाल सुरजपुरा (कालीमंगरी का खेड़ा) तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

5–लक्ष्मी पुत्री देवा भील नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक माता बालीदेवी बेवा देवा भील निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

6–बालीदेवी बेवा देवा भील निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

7–नाथु आत्मज धुला भील निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

8–लादी पुत्री धुला भील पत्नी केशु भील निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा हाल बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

9–शंकरी पुत्री धुला पत्नी नारू भील निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा हाल बाघपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

10–हगामी पत्नि नारू भील निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

11–नारायणलाल आत्मज नाथु भील निवासी नान्दशा जागीर तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा

12–भैरूलाल आत्मज नाथु भील निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

13–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

14–प्रहलादसिंह आत्मज नाथुदान बड़वा निवासी नान्दशा जागीर त.रायपुर जिला भीलवाड़ा

15–भवानीशंकर आत्मज नाथुदान बड़वा निवासी नान्दशा जागीर त.रायपुर जिला भीलवाड़ा

16–ईश्वरसिंह आत्मज नाथुदान बड़वा निवासी नान्दशा जागीर तह रायपुर जिला भीलवाड़ा

17–कविता पुत्री नाथुदान बड़वा पत्नी शैलेषसिंह बड़वा (राव) निवासी टोकरा पोस्ट धनगांव वाया सिंगोली जिला नीमच (म.प्र.)

विपक्षीगण

मुकदमा नम्बरः–114/2018 (2018/00195) प्रार्थना पत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :– तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नान्दशा जागीर तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नम्बर 1929 रकबा 0.04 है0 भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 1982 में से 0.02 है0 आराजी संख्या 1983 में से 0.01 है0 और आराजी संख्या 1993 में से 0.02 है0 कुल रकबा 0.05 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर अनुसार भूमि कीमत 32000/–रू. के दुगुना 64000/– रू. एवं बिलानाम आराजी संख्या 1984 में से 0.02 है0 भूमि की कीमत 12800/–रू. के दुगुना 25600/–रू. बतौर मुआवजा भुगतान / जमा होने पर उक्त रकबे को रास्ता बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

हुक्मनामा आज दिनांक 18.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.02.25 16:20:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: